

(1) सिविल अपील क्रमांक: 03 / 2015

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 03 / 2015

संस्थापन दिनांक 13.01.2015

फाइलिंग नं-230303000112015

1. हवलदार आयु 60 साल
 2. रामदीन आयु 55 साल
 3. शिवनारायण आयु 45 साल पुत्रगण बुद्धे
 4. हरीसिंह आयु 62 साल
 5. पोथीराम आयु 60 साल
- पुत्रगण लालजीत जाति समस्त कड़ेरे
निवासी समस्त ग्राम भगवासा परगना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0अपीलार्थी / प्रतिवादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 55 साल
 2. रामकिशन आयु 52 साल
 3. जगमोहन आयु 40 साल
- पुत्रगण नाथूराम
4. मथुराबाई आयु 85 साल बेवा नाथूराम
 5. हरभजनसिंह आयु 52 साल
 6. हरीमोहन आयु 45 साल
 7. देवाराम आयु 40 साल
 8. भूरेसिंह आयु 38 साल
 9. श्यामसुंदर आयु 32 साल
- पुत्रगण भारतसिंह
10. ईश्वरीसिंह आयु 69 साल
 11. धनसिंह आयु 61 साल
- पुत्रगण लोकमन समस्त जाति कड़ेरे
निवासीगण ग्राम भगवासा परगना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0प्रत्यर्थीगण / वादीगण
12. म0प्र0 शासन द्वारा:-
जर्ये कलैक्टर महोदय,
जिला भिण्ड म0प्र0

..... प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्र0-6 औपचारिक पक्षकार

अपीलार्थी / प्रतिवादीगण द्वारा श्री एम0पी0एस0 राणा अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्र.-8, 12 पूर्व से एकपक्षीय।

शेष प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण द्वारा श्री अवध विहारी पाराशर अधिवक्ता

न्यायालय—कु० शैलजा गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, गोहद, जिला भिण्ड द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक—19/14 ए ई.दी. में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2014 से उत्पन्न सिविल अपील।

—::— नि र्ण य —::—

(आज दिनांक 06 अगस्त 2015 को घोषित किया गया)

1. अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील धारा 96 सी०पी०सी० के अंतर्गत न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता द्वारा सिविल वाद प्रकरण क्रमांक 19ए/2014 इ०दी० में पारित निर्णय व आज्ञाप्ति दिनांक 26.11.2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/प्रत्यर्थीगण का मूल वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि विवादित भूमि जिसके वर्तमान सर्वे क्रमांक—1549 रकवा 9027 है० स्थित ग्राम भगवासा तहसील गोहद में स्थित है जिस पर आधिपत्यधारी कृषक के रूप में लुक्का उर्फ लोकमन पुत्र बलदेव जाति कड़ेरे का इन्द्राज है जो पूर्व में भी रहा है। यह भी स्वीकृत है कि लुक्का उर्फ लोकमन वादी/प्रत्यर्थीगण के पूर्वज होकर ईश्वरी सिंह एवं धनसिंह के पिता व शेष वादीगण क्र०—1 लगायत 3 व 5 लगायत 9 के पितामह और मथुरा बाई के ससुर थे। यह भी स्वीकृत है कि राजस्व अभिलेख में बुद्धे एवं लालजीत भूमिस्वामी के रूप में इन्द्राजित हुए। जो प्रतिवादी/अपीलार्थीगण के पूर्वज थे क्योंकि बुद्धे के पुत्रगण व अपीलार्थी/प्रतिवादी क्र०—1 लगायत 3 और लालजीत के पुत्र प्रतिवादी/अपीलार्थी क्र०—4 व 5 हैं। यह भी स्वीकृत है कि बुद्धे व लालजीत तथा लुक्का उर्फ लोकमन का स्वर्गवास दावा पूर्व हो चुका है।
3. विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि सर्वे क्रमांक—1549 रकवा 0.27 है० स्थित ग्राम भगवासा तहसील गोहद के वादी क्र०—1 लगायत 4 तथा 5 लगायत 9 तथा वादी क्र०—10 एवं 11 समान भाग पर भूमिस्वामी की हैसियत से आधिपत्यधारी हैं। इसी भूमि का विवाद है। इस भूमि पर वादीगण के पूर्वज लोकमन पुत्र बलदेव द्वारा अपने जीवनपर्यन्त खेती की गई तथा उनके जीवनकाल में 50 वर्ष से अधिक समय तक वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की जानकारी में निरंतर खेती की जाती रही है जिससे विवादित भूमि पर वादीगण के स्वत्व उद्भूत हो गये हैं तथा विवादित भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। वादीगण के पूर्वज लोकमन की मृत्यु 15—20 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वर्तमान में प्रतिवादी क्र०—1 लगायत 5 द्वारा यह कहा गया कि विवादित भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों की है उस पर वे अपना नामांतरण कराकर बेच देंगे। तब वादीगण द्वारा तहसील गोहद में आकर विवादित भूमि के संबंध में जानकारी लिये जाने पर उनकी जानकारी में आया कि विवादित भूमि पर बुद्धे एवं लालजीत का नाम भूमिस्वामी के स्थान पर अंकित होकर आधिपत्य कृषक के रूप में लोकमन का दर्ज है जिसके संबंध में वादीगण द्वारा तहसील न्यायालय में कार्यवाही की गई।
4. दिनांक 06.02.14 को प्रतिवादी क्र०—1 लगायत 5 द्वारा विवादित भूमि के विक्रय के संबंध में गांव में बातचीत की तथा भूमि की फसल काटने की धमकी वादी

क्र०-1 को दी। तथा वादीगण क्र०-1 लगायत 5 द्वारा गांव में यह बातचीत की कि विवादित जमीन हमारे पूर्वजों की है हम उस पर नामांतरण कराकर उक्त जमीन बेच देंगे तब वादीगण द्वारा तहसील में आकर जानकारी ली। तब जानकारी में आया कि विवादित भूमि पर बुद्धे एवं लालजीत का नाम भूमिस्वामी पर अंकित होकर आधिपत्यधारी कृषक के रूप में लोकमन पुत्र बलदेव का नाम दर्ज है इसलिये वादीगण की ओर से यह दावा पेश किया गया है। अतः वादीगण द्वारा पद क्रमांक-1 में वर्णित सहायता प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

5. प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया गया है कि पद क्रमांक-1 में विवादित भूमि प्रतिवादीगण यानि उनके स्वत्व की है जिससे वादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादीगण द्वारा उनको अकारण परेशान करने के लिये दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण के पूर्वज लोकमन की मृत्यु के संबंध में जानकारी उन्हें नहीं है। तथा आधिपत्यधारी कृषक के रूप में लोकमन पुत्र बलदेव का नाम दर्ज होना तथा इस संबंध में तहसील न्यायालय में कार्यवाही करना गलत बताया है। भूमि सर्वे क्रमांक-1549 की प्रविष्टि के बारे में वादीगण द्वारा गलत दावा प्रस्तुत किया गया है। यदि किसी वर्ष के खसरा में ऐसी प्रविष्टि की गई है तो वह गलत फर्जी तथा पूर्वाग्रह पूर्वक राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादीगण द्वारा करवाई गई है जो प्रतिवादीगण के मुकाबले प्रभावहीन हैं। दिनांक 06.02.14 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को फसल काटने के संबंध में धमकी देने तथा विवादित भूमि को विक्रय करने के संबंध में मात्र वादाधार उत्पन्न करने के उद्देश्य से असत्य कथन किये गये हैं।
6. प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से जवाब दावा में अतिरिक्त आपत्ति में यह भी व्यक्त किया गया है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह नहीं बताया है कि विवादित भूमि किस पुराने सर्वे नंबर से बनी है उसका विस्तृत ब्योरा सन् संवत् नहीं बताया है। तथा विवादित भूमि पर पिछले पचास वर्षों में क्या स्थिति रही, यह भी नहीं बताया। लोकमन की मृत्यु का निश्चित तारीख, महीना सन् नहीं बताया। 15-20 साल पूर्व मृत्यु होने के संबंध में काल्पनिक बात लिखी गई है तथा प्रतिवादीगण का नाम हर दस्तावेज में भूमिस्वामी के रूप में प्रविष्ट है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
7. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्र०-6 के एकपक्षीय होने से उसकी ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।
8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद प्रश्नों की रचना करते हुये विचारण कर गुणदोषों पर दिनांक 26.11.2014 को घोषित निर्णयानुसार वादी का वाद को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाते हुये स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से पेश कर यह आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि विधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का दावा भूमिस्वामी स्वत्व उद्भूत होने का है तथा उसके संबंध में होकर 50 वर्ष से निरंतर खेती होने के कारण मौरुषी कृषक होने से भूमिस्वामी घोषित करने की सहायता चाहिए है। अपीलार्थीगण ने उक्त अभिवचनों के संबंध में स्पष्ट किया है कि मौरुषी कृषक के अधिकार प्रतिअपीलार्थी को किस प्रकार अर्जित हो गये हैं। म०प्र० भू-राजस्व संहिता के अस्तित्व में आने के दिनांक को

प्रतिअपीलार्थी के पूर्वज का नाम राजस्व अभिलेख में मौरूषी कृषक के रूप में दर्ज था। ऐसा कोई दस्तावेज प्रत्यर्थी/वादीगण ने न्यायालय में पेश नहीं किया है। तथा उनके द्वारा यह भी साबित नहीं किया है कि दिनांक 02.10.59 को या उसके पूर्व किस व्यक्ति अथवा शासन द्वारा विवादित भूमि जोतने के लिये दी थी तथा उक्त जमीन प्रत्यर्थी/वादीगण को पट्टे पर अथवा किस भूमिस्वामी कृषक ने जोतने के लिये दी थी

9. प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि म०प्र० भू-राजस्व संहिता के अस्तित्व में आने के दिनांक को वादीगण या उसके पूर्वजों का मौरूषी कृषक राजस्व अभिलेख में दर्ज संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रकरण के अभिलेख पर नहीं है। तथा सर्वे क्रमांक-1549 रकवा 0.27 है० पर दिनांक 02.10.59 को या उसके पूर्व वादीगण का या उसके पूर्वज का नाम मौरूषी कृषक के रूप में दर्ज नहीं था। जिस बारे में भी वैधानिक भूल की गई है। उन्होंने प्र०पी०-3 लगायत 5 के कुल 11 वर्षों के खसरा पेश किये हैं जबकि वाद पत्र में सर्वे क्रमांक-1549 के रकवे पर निरंतर 50 वर्ष से वादीगण के पूर्वज लोकमन व वादीगण का खेती होना बताया है। तथा मौरूषी कृषक होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। न ही कोई मौखिक रूप से साबित किया है। तथा रिकॉर्डेड भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी होने का दस्तावेज विधि की दृष्टि से उचित रूप से प्रस्तुत किया है। मौरूषी कृषक से भूमिस्वामी बनने का प्रावधान म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा-190 में मौजूद है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत ही भूमिस्वामी बनने की कार्यवाही हो सकती है केवल कुछ वर्षों में खसरा में टिप्पणी के खाने में मौरूषी कृषक की प्रविष्टि होने से कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। धारा 185-190 म०प्र० भू-राजस्व संहिता के अनुसार एक मौरूषी कृषक का स्तर 02.10.59 को साबित किया जाना चाहिए। बिना ऐसे सबूत के भूमिस्वामी के अधिकार उद्भूत नहीं हो सकते हैं। खसरा में लगातार पचास वर्ष की प्रविष्टि मौरूषी कृषक नहीं होने पर भी मनमाने तरीके से माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व जय पत्र पारित करने में वैधानिक कानूनी भूल की हैं जो निरस्ती योग्य है।

10. यह भी आधार लिया गया है कि वादी साक्षी क्र०-3 ईश्वरीप्रसाद ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक-6 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके पास लगान भरने की कोई पर्ची नहीं है न ही प्रकरण में प्रस्तुत की है तथा ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे पता चलता हो कि उसके बाबा या पिता द्वारा विवादित जमीन पर खेती की हो तथा यह भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर निरंतर 50 वर्षों से काबिज होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया है। तथा वादी साक्षी क्र०-1 व 2 ने भी बचाव पक्ष के कई ऐसे सुझाव स्वीकार किये हैं जिसके कारण वादीगण अपना वाद सिद्ध करने में सफल नहीं रहे हैं तथा प्रकरण में वादीगण द्वारा कोई री-नंबरिंग सूची भी प्रस्तुत नहीं की है। न ही पटवारी का कथन कराया गया है। फिर भी सर्वे क्रमांक-1549 का पुराना सर्वे नंबर-1691 माना है जिस पर पटवारी मौजा से कोई राय अथवा न्यायालय के समक्ष उसका परीक्षण किये वगैर मनमाने तौर पर आंकलन कर निर्णय व जयपत्र दिनांक 26.11.14 मनमाने तौर से किया है जो निरस्ती योग्य है। वादीगण अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे हैं जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह भली-भांति प्रमाणित किया है कि विवादित सर्वे क्रमांक-1549 के रकवे 0.27 है० के प्रतिवादीगण ही एक मात्र

भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से पेश की गई अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.2014 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

11. अपील के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

- 1.** क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक-19ए/2014 इ0दी0 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.14 प्रकरण में आई साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
- 2.** क्या वादी/प्रत्यर्थीगण का मूल वाद अस्वीकार किए जाने योग्य है?

--- निष्कर्ष के आधार ---

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

12. अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनरावृत्ति न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

13. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। आलोच्य निर्णय में निकाले गये निष्कर्ष पर मनन किया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित व मौखिक तर्कों पर भी चिन्तन, मनन किया गया। प्रतिवादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने विस्तृत तर्कों में मूलतः इस बात पर बल दिया है कि वादी/प्रत्यर्थीगण द्वारा जो मूल वाद स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया था जिसमें जो सहायता चाही गई है, उसके संबंध में कोई सुदृढ साक्ष्य पेश नहीं की गई है किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों से परे जाकर आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 26.11.14 को उनके विरुद्ध पारित कर दी है किन्तु इस बात पर कोई गौर नहीं किया कि वादी/प्रत्यर्थीगण को विवादित भूमि पर स्वत्व कैसे और कब अर्जित हुए क्योंकि वादीगण पूर्वजों के समय से करीब दावा पूर्व 50 वर्ष से अधिक समय से निरंतर काबिज चले आने के आधार पर स्वत्व की घोषणा एवं कब्जा कास्त में व्यवधान उत्पन्न करने से रोके जाने संबंधी स्थाई निषेधाज्ञा तथा विक्रय को निषेधित किये जाने की प्रार्थना करते हुए डिक्री चाही थी। जबकि वादी/प्रत्यर्थीगण विवादित भूमि के किसी भी रूप में स्वामी नहीं हैं क्योंकि दावा पूर्व 50 वर्षों से निरंतर कब्जे का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है।

14. जो खसरा अभिलेख पेश किया है उसमें 45 वर्षों का प्रमाण नहीं है कि वादी/प्रत्यर्थीगण के पूर्वज लोकमन मौरुषी कृषक के रूप में आबाद रहे या नहीं। इस ओर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है जबकि सुस्थापित विधि मुताबिक जमींदारी काल में वास्तविक काबिज होने का प्रमाण होना चाहिए था जमींदारी उन्मूलन विधान 1951 के अस्तित्व में आने पर पक्के कृषक के प्रमाण तथा मध्य भारत टेनेन्सी एक्ट के प्रभावशील रहते हुए अधिपति कृषक होना और

भू-राजस्व संहिता 1959 के दिनांक 02.10.59 को अस्तित्व में आने पर भूस्वामी के स्वत्व अर्जित होने चाहिए जिसका कोई प्रमाण नहीं है और लगातार कब्जे के खसरा पेश न करने का कोई कारण नहीं बताया गया है जबकि प्रमाण भार वादी/प्रत्यर्थीगण पर था क्योंकि वे अपीलार्थी/प्रतिवादीगण की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकते हैं। प्रकरण में खसरा की कोई री-नंबरिंग सूची भी पेश नहीं की गई है कि पुराना सर्वे नंबर क्या था। जिससे वर्तमान सर्वे नंबर-1549 का निर्माण हुआ और पुराने सर्वे क्रमांक पर कौन काबिज था, कैसे काबिज था, कब से काबिज था आदि महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर डिक्री पारित कर दी है जबकि प्रकरण में वादी/प्रत्यर्थीगण के धारा-189, 190 एम0पी0एल0आर0सी0 का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। और प्रतिवादी/अपीलार्थीगण वास्तविक भूस्वामी हैं और भूस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं।

15. भू-अधिकार ऋण पुस्तिका भी उन्हें शासन द्वारा प्रदत्त की गई है जो प्र0डी0-1 के रूप में पेश की है जिसका कोई खण्डन नहीं है। इसलिये वादी/प्रत्यर्थीगण विवादित संपत्ति के भूस्वामी विधिक रूप से घोषित नहीं हो सकते हैं और वर्तमान में उनका कोई कब्जा भी नहीं है। जो वाद कारण बताया है वह भी संबंधित साक्षी को पेश कर प्रमाणित नहीं किया गया है इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

16. इस संबंध में प्रत्यर्थी/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में मूलतः यह बताया है कि वादी/प्रत्यर्थीगण विवादित भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से जमींदारीकाल से निरंतर काबिज कास्त चले आ रहे हैं। वर्तमान में भी उनका कब्जा है और राजस्व अभिलेख में भी उनके पूर्वज लुक्का उर्फ लोकमन का इन्द्राज चला आ रहा है। जो अभिलेख उन्हें प्राप्त हो सके वे उन्होंने पेश कर दिये हैं जिससे कब्जे की पुष्टि होती है और जमींदारी काल में जो व्यक्ति वास्तविक कृषक था, उसे जमींदारी समाप्त होने पर मौरुषी कृषक के अधिकार मिले। तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के लागू होने पर भूमिस्वामी के स्वत्व प्राप्त होते हैं जिसके आधार पर वादी/प्रत्यर्थीगण विवादित सर्वे क्रमांक-1549 रकबा 0.27 है0 के भूमिस्वामी आधिपत्यधारी हैं जिससे प्रतिवादी/अपीलार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय मुताबिक जो डिक्री पारित की है वह विधि व तथ्यों के अनुरूप होकर पुष्टि योग्य है। और उक्त भूमि से प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का कोई संबंध सरोकार नहीं है।

17. प्र0डी0-1 की जो प्रतिवादीगण ने भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका पेश की है। उसमें भी लोकमन की प्रविष्टि है। मौखिक साक्ष्य से भी कब्जा सिद्ध किया है। जबकि प्रतिवादीगण की विरोधाभाषी साक्ष्य आई है और प्रतिवादी रामदीन तो गांव में निवास भी नहीं करता है न उनका कोई संयुक्त परिवार है। प्रतिवादी/अपीलार्थीगण चाचा ताउ के रिश्ते के हैं और हवलदार ने तो अपने हिस्से की भूमि विक्रय भी कर दी है अन्य सर्वे क्रमांकों का विवाद नहीं है। विवादित भूमि के पुराने सर्वे क्रमांकों की री-नंबरिंग सूची अवश्य पेश नहीं की गई है। किन्तु वादी ईश्वरीप्रसाद ने पुराने सर्वे क्रमांक को सुझाव देने पर बताया है जिसका खण्डन नहीं है और उन्हें विधि के प्रभाव से भूस्वामी के स्वत्व प्राप्त हैं और उनके कब्जे को कभी भी नहीं हटाया गया है। प्र0डी0-1 की प्रतिवादी/अपीलार्थीगण ने पटवारी से मिलकर किताब तैयार करा ली है जिससे उन्हें कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं और वादीगण का वाद विधिक रूप से

प्रमाणित होकर डिक्री हुआ है इसलिये अपील बे-बुनियाद है और सब्यय निरस्त किया जावे जिसके खण्डन में प्रतिवादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादीगण प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकते हैं और वादीगण को अपने सामर्थ्य से ही वाद प्रमाणित करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। तथा छुटपुट प्रविष्टि के आधार पर हक प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि जमींदारी काल में भूमि किसने, किसे किस रूप में जुताई थी। उन्होंने अपने तर्कों में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-168, 169 एवं 185 भू-आगम एवं कृषकार अधिकार अधिनियम 1950 की धारा-54 तथा जागीर उन्मूलन अधिनियम 1951 के प्रावधानों का हवाला देते हुए डिक्री अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

18. अभिलेख का अवलोकन किया गया। तर्कों पर विचार किया। आई साक्ष्य पर चिंतन मनन किया गया। यह सही है कि प्रत्येक सिविल मामले का निराकरण प्रबल संभावनाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है। और यह भी सुस्थापित है कि जो व्यक्ति सहायता चाहता है उस पर ही अपने आधारों को प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व रहता है। इस दृष्टि से वादीगण पर ही अपने वाद को प्रमाणित करने का भार होता है और वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। इसलिये यह देखना होगा कि विचाराधीन मामले में वादी/प्रत्यर्थीगण अपने लिये आधारों के अनुरूप साक्ष्य से उसे प्रमाणित करने में सफल हुआ है अथवा नहीं। क्योंकि वे प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की किसी कमजोरी का लाभ विधिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

19. अभिलेख पर उभयपक्ष की ओर से मौखिक व दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई हैं और सुस्थापित विधि मुताबिक जहाँ दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है वहाँ संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष विधि की मंशा के अनुरूप निकाले जाने चाहिए इसलिये प्रकरण में आई साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण कर देखना होगा कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/प्रत्यर्थीगण का विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-1549 रकबा 0.27 है० स्थित ग्राम भगवासा तहसील गोहद जिला भिण्ड पर वास्तविक आधिपत्य कब से चला आ रहा है और उन्हें क्या भूमिस्वामी के अधिकार अर्जित हुए हैं। जैसा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में स्वीकार किया है।

20. इस संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाये तो वादी/प्रत्यर्थीगण की ओर से तीन साक्षी पेश किये गये थे जिनमें वादी रामस्वरूप वा०सा०-1, रामकिशन वा०सा०-2, ईश्वरीप्रसाद वा०सा०-3 के रूप में पेश किये हैं। मुकुटबिहारी शर्मा प्र०सा०-4 का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया था किन्तु प्रतिपरीक्षण के लिये उसे पेश नहीं किया गया है। इसलिये उसके शपथ पत्र को विश्लेषण में नहीं लिया जा सकता है और प्र०पी०-1 लगायत 6 के रूप में दस्तावेज साक्ष्य में पेश किये गये। खण्डन में प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से प्र०डी०-1 की वर्तमान भू-अधिकार ऋण पुस्तिका पेश करते हुए मौखिक साक्ष्य में रामदीन प्र०सा०-1, पोथीराम प्र०सा०-2 व विजयराम प्र०सा०-3 के रूप में परीक्षित कराये गये हैं। जिन पर से निष्कर्ष निकालने होंगे।

21. सर्वप्रथम लुक्का उर्फ लोकमन की स्थिति को स्पष्ट करना उचित व आवश्यक है क्योंकि उसके इन्द्राज के आधार पर ही वाद आधारित है। और मामले में मूल वाद

दिनांक 12.02.14 को पेश किया गया था जिस पर पचास वर्ष से अधिक समय से निरंतर कब्जा और कास्त में चले आने का आधार लिया गया था। लोकमन की मृत्यु दावा पूर्व 15 साल पूर्व हो जाना बताया गया है जो वादी/प्रत्यर्थागण के पूर्वज थे। इस पर कोई विरोधाभासी स्थिति नहीं है क्योंकि जो साक्ष्य के दौरान निर्विवादित तथ्य प्रकट हुए हैं उसके अनुसार लुक्का उर्फ लोकमन के संबंध में जो सजरा खानदान वाद पत्र के अभिवचनों में अंकित किया है उसका खण्डन सुदृढ़ रूप से नहीं हुआ है जिससे यह प्रकट होता है कि लोकमन के चार पुत्र नाथूराम, भारतसिंह, ईश्वरीसिंह एवं धनसिंह थे जिनमें से ईश्वरीसिंह अथवा धनसिंह जीवित होकर प्रकरण में वादीगण के रूप में पक्षकार हैं। जिनमें से ईश्वरीसिंह का साक्ष्य के दौरान कथन भी हुआ है तथा नाथूराम व भारतसिंह फोटो हो चुके हैं। नाथूराम के वारिसों में रामस्वरूप, रामकिशन और जगमोहन तथा उसकी बेवा मथुरा बाई हैं जो पक्षकार हैं। और भारतसिंह के वारिसों में हरमोहन, हरिओम, देवाराम, भूरेसिंह और श्यामसुंदर बताये गये हैं जो पक्षकार भी हैं।

22. हरमोहन को वाद पत्र की कण्डिका-2 में हरभजन वादी क्र०-5 लिख गया है जो संभवतः या तो भूल से या टंकणीय त्रुटि से अंकित हुआ होगा क्योंकि इसके संबंध में कोई विवाद प्रकरण में नहीं है। लोकमन की मृत्यु दावा पूर्व करीब 15-20 साल पहले होना वादीगण ने अभिवचनों और अपनी मौखिक साक्ष्य में केवल औपचारिक खण्डन किया है और यह तो स्वीकार किया है कि लोकमन की मृत्यु हो चुकी है किन्तु कब हुई, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की है और इस बात का कोई विरोध भी नहीं किया गया है कि दावा पूर्व लोकमन की मृत्यु हुई या नहीं। ऐसी स्थिति में लोकमन की मृत्यु दावा पूर्व 15 से 20 वर्ष की अवधि के दौरान होने को ही उपधारित किया जा सकता है और इसके संबंध में वादी/प्रत्यर्थागण की साक्ष्य में बताया गया है। प्रतिवादीगण की जो साक्ष्य पेश हुई उसमें प्रतिवादी साक्षियों को यह जानकारी नहीं है कि वादीगण के पूर्वज लोकमन की मृत्यु कब हुई। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वादीगण रामकिशन, जगमोहन, नाथूराम के लड़के हैं और वादीक्र०-5 लगायत 9 भारतसिंह के लड़के हैं तथा ईश्वरी व धनसिंह लोकमन के लड़के हैं। इस तरह से सजरा खानदान स्वीकृत हो जाता है।

23. पोथीराम प्र०सा०-2 ने यह कहा है कि लोकमन की मृत्यु यदि 15-20 साल पूर्व हुई हो तो उसे याद नहीं है। लेकिन उसने भी जो रिश्ता सजरा खानदान में दर्शाया है उस रूप में उसे स्वीकार किया है और 20 वर्ष पूर्व लोकमन की मृत्यु होना वह बताता है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि लोकमन वादीगण के पूर्वज होकर दावा पूर्व अधिकतम बीस साल पहले फोटो हुआ। इस हिसाब से जब लोकमन की मृत्यु हुई, उसके पूर्व ही मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में प्रभावशील हो गयी थी। क्योंकि उक्त संहिता दिनांक 02.10.59 को लागू होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकमन के जीवनकाल में एम०पी०एल०आर०सी० के प्रावधान लागू थे। ऐसे में वादी/प्रत्यर्थागण की स्थिति लोकमन के उत्तराधिकारियों एवं उत्तरजीविता की हो जाती है। सुस्थापित विधि मुताबिक जो व्यक्ति जमींदारी काल में जिस भूमि पर कृषक था उसे जमींदारी उन्मूलन विधान 1951 के प्रभावशील होने पर पक्के कृषक के अधिकार मिले और ऐसा पक्का कृषक दिनांक 02.10.59 को एम०पी०एल०आर०सी० 1959 के लागू होने पर भूमिस्वामी हुआ। इस हिसाब से यदि लोकमन जमींदारीकाल में कृषक रहा हो और निरंतर काबिज कास्त बन रहा हो तो जमींदारी उन्मूलन विधान-1951 के प्रभाव में आने पर वह पक्का कृषक होगा। और

एम0पी0एल0आर0सी0 के लागू होने पर वह भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त कर लेगा।

24. अभिलेख पर जमींदारी काल का कोई प्रमाण पेश नहीं है इसलिये यह देखना होगा कि क्या संवत् 2007 में जब भू-आगम एवं कृषकार विधान लागू हुआ तब लोकमन की क्या स्थिति थी। और जागीर उन्मूलन विधान 1951 के प्रभाव में आने पर क्या लोकमन पक्का कृषक था। यदि उसे ऐसा पक्का कृषक माना जाता है तब एम0पी0एल0आर0सी0 के लागू होने पर स्वत्व प्राप्त हो सकते हैं। अपीलार्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा अभिवचन और साक्ष्य दी गई उसमें लोकमन का विवादित भूमि से किसी भी रूप में कोई संबंध व सरोकार नहीं होना और उसका कभी भी काबिज कास्त न होना कहा गया है जिसे भी विश्लेषित करना होगा।

25. प्र0डी0-1 के रूप में जो भू-अधिकार ऋण पुस्तिका हवलदार पुत्र बुद्धेलाल की पेश की गई है जिसमें हवलदार, रामदीन, शिवनारायण, पुत्रगण बुद्धेलाल का हिस्सा 1/2, हरीसिंह, पोथीराम पुत्रगण लालजीत का हिस्सा 1/2 भूमिस्वामी के रूप में इन्द्राजित किया गया है। जिसमें विवादित सर्वे क्रमांक-1549 रकवा 0.27 है0 के अलावा अन्य भूमि सर्वे क्रमांक-987, 988, 990, 1041, 1076 का भी उल्लेख है। जिसमें भी सर्वे क्रमांक-1549 के सामने लुकका उर्फ लोकमन का नाम इन्द्राजित है जिसे प्रतिवादीगण अपनी साक्ष्य में भी स्वीकार करते हैं। किन्तु मौरुषी कृषक के रूप में इन्द्राजित होने और वादीगण के काबिज कास्त चले आने से भी अवश्य इन्कार करते हैं।

26. जहाँ तक प्रतिवादी/अपीलार्थीगण के द्वारा तर्कों के माध्यम से यह आपत्ति ली गई है कि प्रकरण में विवादित सर्वे क्रमांक-1549 का पुराना सर्वे क्रमांक क्या था, इसके बारे में कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। री-नंबरिंग सूची भी पेश नहीं की गई है इसलिये वादी/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा निर्मित की जावे जिस पर से अभिलेख पर उभयपक्ष की आई साक्ष्य का अध्ययन करने पर यह तो स्पष्ट है कि विवादित सर्वे क्रमांक-1549 का पूर्व सर्वे क्रमांक क्या था, इसके बारे में कोई दस्तावेज अभिलेख पर पेश नहीं हुआ है क्योंकि प्र0पी0-3 लगायत 5 के रूप में जो खसरा अभिलेख पेश हैं उनमें सर्वे क्रमांक-1691 अवश्य दर्ज है किन्तु 1549 का उल्लेख नहीं है। प्र0पी0-3 में अवश्य सर्वे क्रमांक-1549 अंकित है किन्तु 1691 का उल्लेख नहीं है। इसलिये प्र0पी0-3 लगायत 5 में दोनों क्रमांकों का उल्लेख नहीं आया है किन्तु जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर आई है, उसमें वादी साक्षी रामस्वरूप वा0सा0-1 के द्वारा पैरा-9 में यह स्पष्ट रूपसे बताया गया है कि पुराना सर्वे क्रमांक-1691 था। इस बात की पुष्टि प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से पेश की गई साक्ष्य में भी हुई है जिसमें स्वयं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी रामदीन प्र0सा0-1 ने पैरा-6 में यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में विवादित सर्वे क्रमांक-1549 का बंदोवस्त के पूर्व क्रमांक-1651 था। ईश्वरी वा0सा0-3 ने भी पैरा-4 में पुराना सर्वे क्रमांक-1691 बताया है। और उसे उक्त नंबर याद होने का कारण भी स्पष्ट किया है कि दाविया खेत अकेला होने से उसे उसका नंबर याद है। इस प्रकार से विवादित भूमि जिसका वर्तमान सर्वे क्रमांक-1549 है उसके पूर्व क्रमांक-1691 होना स्वीकार किया है और यह सुस्थापित विधि है कि स्वीकृत तथ्य को अतिरिक्त साक्ष्य से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि साक्ष्य विधान की धारा-58 में स्पष्ट उपबंध है। इसलिये सर्वे क्रमांक की री-नंबरिंग सूची के पेश न होने का कोई कु-प्रभाव नहीं माना जा सकता है।

27. उभयपक्ष की साक्ष्य में जो आपसी संबंधों के बाबत जो साक्ष्य आई है उसमें इस बात की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि वादीगण के पूर्वज लोकमन और प्रतिवादीगण के पूर्वज बुद्ध एवं लालजीत एक ही कुटुंब से संबंधित हैं क्योंकि वा0सा0-1 की साक्ष्य में यह तथ्य भी आया है कि लोकमन दो भाई थे। हालांकि ईश्वरी वा0सा0-3 अपने पिता लोकमन का अकेला होना बताता है। किन्तु वा0सा0-1 ने यह स्पष्ट किया है कि लोकमन का दूसरा भाई फदल्ले था। लोकमन के चार पुत्र हुए जिनमें नाथूराम, भारतसिंह ईश्वरीसिंह व धनसिंह हैं और फदल्ले के दो पुत्र लालजीत एवं बुद्धे थे। प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट है कि वादी/प्रत्यर्थीगण लोकमन के वंशज और प्रतिवादी/अपीलार्थीगण फदल्ले के वंशज हैं। उभयपक्ष की साक्ष्य में यह स्थिति भी स्पष्ट हुई है कि प्रतिवादी/अपीलार्थीगण क्रमांक-1 लगायत 3 के पिता बुद्धे और प्रतिवादी/अपीलार्थीगण क्र0-4 व 5 के पिता लालजीत लोकमन की मृत्यु के बाद फोट हुए हैं। लोकमन की मृत्यु की जो समयावधि उभयपक्ष की साक्ष्य से आंकलित हुई है, उससे ऐसा आभाष होता है कि लोकमन की मृत्यु दावा करने के करीब 20-30 साल की अवधि में हुई तथा साक्ष्य में यह भी प्रकट होता है कि लोकमन, बुद्धे और लालजीत के जीवनकाल में वे अपनी अपनी भूमि पर काबिज कास्त रहे और उनके बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ। जैसा कि विजयराम प्र0सा0-3 पैरा-4 स्वीकार करता है तथा पोथीराम प्र0सा0-2 की साक्ष्य के पैरा-7 में यह भी स्वीकार किया गया है कि प्र0डी0-1 की भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका में लुक्का उर्फ लोकमन सर्वे क्रमांक-1549 पर मौरुषी कृषक के रूप में अंकित हैं। जो वादी ईश्वरी, धनसिंह के पिता एवं शेष वादीगण के बाबा थे। इस तरह से प्रतिवादीगण लोकमन का आधिपत्य कृषक/मौरुषी कृषक के रूप में इन्द्राजित होने की स्वीकारोक्ति करते हैं।

28. यह सही है कि प्र0डी0-1 की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका जो संवत् 2088 अर्थात् सन् 2011 में जारी हुई है उसमें भी लोकमन का नाम इन्द्राजित चला आ रहा है। जबकि निर्विवादित रूप से लोकमन की मृत्यु काफी अरसा पहले हो चुकी है। लोकमन के स्थान पर उसके वारिसान अर्थात् वादीगण का मौरुषी कृषक के रूप में इन्द्राज न होना एक प्रक्रियात्मक कार्य है। जो गुण-दोषों पर प्रभाव नहीं करता है। वादीगण की साक्ष्य में यह स्वीकारोक्ति भी आई है कि उनके द्वारा या उनके पूर्वज द्वारा भूमिस्वामी बनने की कभी कोई कार्यवाही सक्षम राजस्व प्राधिकारी के समक्ष नहीं की गई किन्तु ऐसा न करने से अधिकार समाप्त नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि कब्जे के संबंध में जो उभयपक्ष की साक्ष्य आई है उसमें वादीगण की साक्ष्य ज्यादा सुदृढ़ है क्योंकि उन्होंने जहाँ एक ओर मौखिक साक्ष्य में खेती करने की बात बताई है वहीं प्रतिवादीगण की साक्ष्य में भी लोकमन का काबिज कास्त होना अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया और राजस्व अभिलेख भी उसकी पुष्टि करता है। इसलिये इस संबंध में प्रतिवादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क विधिक महत्व नहीं रखते हैं।

29. प्रतिवादीगण की साक्ष्य में यह तथ्य भी आये हैं कि वे तीन भाई हैं। तीनों अलग-अलग हैं। हालांकि उनका बंटवारा नहीं हुआ है। रामदीन प्र0सा0-1 यह भी स्वीकार करता है कि वह करीब बारह वर्ष पूर्व से बहोड़ापुर ग्वालियर में चाय की दुकान करता है। गांव में आता जाता अवश्य है और वह पिता के मरने पर नामांतरण हो जाना भी कहता है किन्तु सर्वे क्रमांक-1549 के अलावा और कौन कौनसी भूमियाँ उनकी हैं, इसकी उसे जानकारी नहीं है। हालांकि वह पैरा-6 में लोकमन के मौरुषी कृषक के रूप में इन्द्राज नहीं करता है किन्तु मौरुषी कृषक के रूप में इन्द्राज होना प्र0पी0-3 लगायत 5 तथा प्र0डी0-1 से स्पष्ट होता है। इसलिये उसके विरुद्ध

मौखिक साक्ष्य ग्राह्य योग्य ही नहीं है।

30. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय की कण्डिका-14 मुताबिक जो उपापत्ति (फाईन्डिंग्स) दी है उसमें यह स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-190 के तहत यदि कोई भूमिस्वामी उक्त संहिता के लागू होने के एक वर्ष के भीतर एसडीओ को मौरुषी कृषक से भूमि के पुनर्ग्रहण के लिये कोई आवेदन यदि नहीं करता है तो मौरुषी कृषक एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात संबंधित भूमि पर भूमिस्वामी के अधिकार अर्जित कर लेता है तथा उक्त संहिता की धारा-192 के मुताबिक मौरुषी कृषक का उसके खाते में हित, उसकी मृत्यु हो जाने पर पर्सनल विधि के अनुसार उत्तराधिकार या उत्तरजीविता के द्वारा संक्रान्त होगा। अभिलेख पर प्रतिवादी/अपीलार्थीगण या उनके पूर्वजों के द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के लागू होने के एक वर्ष के भीतर या वर्तमान तक भूमि पुनर्ग्रहण की कार्यवाही धारा-189 या 190 एम0पी0एल0आर0सी0 के तहत किया जाना न तो बताया गया है न ही प्रकट होता है और जिस तरह से लुक्का उर्फ लोकमन के समय से विवादित सर्वे क्रमांक-1549 पर अधिपति कृषक के रूप में उनका कब्जा बताया गया है, उसके संबंध में वादीगण की मौखिक साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य से संपोषक स्थिति में होने से विश्वसनीय प्रतीत होती है जिससे वादी/प्रत्यर्थीगण के स्वत्व अधिकार सृजित हो जाना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मानने में कोई विधिक त्रुटि न की जाना परिलक्षित होता है।

31. इस संबंध में न्याय दृष्टांत छुट्टू एवं अन्य विरुद्ध सखाराम आदि 1981 जे0एल0जे0 पेज-487 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि खसरा प्रविष्टि में काबिज अंकित होने पर उससे आगे पीछे निरंतर काबिज होने की उपधारणा निर्मित की जा सकती है। क्योंकि प्र0पी0-3 का खसरा वर्ष 2013-14 का है। जैसा कि दावा प्रस्तुति के समय की स्थिति है और प्र0पी0-4 व 5 के खसरे संवत् 2026 लगायत 30 और 31 लगायत 35 के हैं तथा वादी/प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह स्वच्छ हाथों से आकर प्रकट किया है कि और खसरे उन्हें नहीं मिल पाये हैं क्योंकि वादीगण शिक्षित नहीं है। ऐसे में जबकि लोकमन के जीवनकाल से वर्तमान स्थिति तक अधिपति कृषक की स्थिति प्रकट होती है और वास्तविक आधिपत्यधारी वादी/प्रत्यर्थीगण का परिलक्षित होता है। तथा लोकमन मौरुषी कृषक के रूप में इन्द्राजित है जिसकी प्रविष्टि न तो खण्डित होती है न उसे प्रतिवादी/अपीलार्थीगण द्वारा खण्डन कराया गया है। न चुनौती दी गई है। वर्तमान वाद में भी केवल विरोध किया है। अधिपति कृषक की प्रविष्टि को चुनौती देते हुए कोई प्रतिदावा या काउण्टर अपील नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत कैलाशनारायण विरुद्ध शफीउल्ला एवं अन्य सी0सी0एल0जे0 एस0एन0-48 से कोई लाभ नहीं पहुंचता है। क्योंकि उक्त न्याय दृष्टांत के मामले में वादी भूमि को कृषक या उपकृषक के रूप में धारण नहीं करता था। जबकि हस्तगत मामले में भूमि पर वादीगण काबिज कास्त होना साक्ष्य से ही परिलक्षित हुआ है। इसी प्रकार चूंकि लोकमन का मौरुषी कृषक के रूप में इन्द्राज है, पट्टे का विवाद नहीं है न ही उपकृषक की हैसियत है इसलिये अन्य प्रस्तुत न्याय दृष्टांत मुजफ्फरजहाँ विरुद्ध ब्रदी प्रसाद सी0सी0एल0जे0 एस0एन0 83 का कोई लाभ प्रतिवादी/अपीलार्थीगण को प्राप्त नहीं होता है।

32. प्रतिवादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य न्याय दृष्टांत

महंत राधिकादास विरुद्ध चकपाण सी०सी०एल०जे०

एस०एन० 36

में भू-आगम एवं कृषकार विधान संवत् 2007 जागीर उन्मूलन विधान 1951 मध्य भारत एम०पी०एल०आर०सी० 1959 की धारा-158, एवं 185 के संदर्भ में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि स्वत्व अर्जित करने के लिये व्यक्ति को पक्का कृषक होना चाहिए। न्याय दृष्टांत के मामले में जो व्यक्ति वादी था वह दिनांक 04.12.82 को भूमि के कब्जे में ही नहीं था इसलिये उसे पक्का कृषक नहीं माना गया। जबकि इस मामले में तो वादीगण अपने पूर्वज लोकमन के समय से ही मौरुषी कृषक रूप में चले आ रहे हैं जो उनकी साक्ष्य से सिद्ध भी हुआ है। इसलिये उक्त न्याय दृष्टांत का भी अपीलार्थीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। न ही अन्य न्याय दृष्टांत **गंगाराम विरुद्ध डोला 2001 भाग-1 एम०पी०डब्ल्यू०एन० एस०एन० 153** लागू होता है क्योंकि मौरुषी कृषक के अधिकार वादीगण की विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित है।

33. न्यायदृष्टांत **विलायतीराम विरु० सीताराम एवं अन्य सी०सी०एल०जे० एस०एन०-60** में अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पत्र से संबंधित है और खसरा प्रविष्टियों के संबंध में एम०पी०एल०आर०सी० 1959 की धारा-117 के संबंध में यह कहा गया है कि यदि वह प्रविष्टि पटवारी द्वारा की गई है तो उसे पटवारी से संपुष्ट करवाना चाहिए। उक्त न्याय दृष्टांत के मामले में जो खसरा प्रविष्टि की गई थी वह पटवारी द्वारा दी गई थी जिसे साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता था जबकि वर्तमान मामला गुण-दोषों पर निराकृत हुआ है। अपील स्तर पर उक्त न्याय दृष्टांत प्रायोज्य नहीं होता है। इस प्रकार से अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टांतों से उनकी अपील के आधारों को कोई बल प्राप्त नहीं होता है और उक्त न्याय दृष्टांत प्रकरण की भिन्न परिस्थितियों के कारण लागू ही नहीं होते हैं।

34. जहाँ तक कब्जे का प्रश्न है, कब्जे के संबंध में वादीगण के तीनों साक्षियों ने अपने अभिसाक्ष्य में एक जैसे कथन करते हुए यह कहा है कि उनका कब्जा पूर्वज लोकमन के समय से निरंतर है और वे खेती कर रहे हैं। प्रतिवादीगण पटवारी से मिलकर बलपूर्वक विवादित भूमि पर कब्जा करने की फिराक में हैं। जबकि उनका दावा पूर्व 50 वर्षों से अधिक समय से निरंतर कब्जा व कास्त शांतिपूर्ण तरीके से है और वे उसके स्वामी हैं जिसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से जो साक्ष्य दी गई उसमें वे भी विवादित भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज कास्त होना और राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी की हैसियत से इन्द्राजित होना कहकर आये हैं। तथा यह भी कहकर आये हैं उनके नाम की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका भी बनी है। तथा लोकमन का न तो कभी कब्जा रहा न खेती की न वर्तमान में वादीगण की खेती है न कब्जा है। वादी साक्ष्य में यह भी तथ्य आया है कि उनके द्वारा लगान की कोई रसीद पेश नहीं की गई है तथा लोकमन के समय लगान भरा गया हो तो ऐसा भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जबकि वह स्वीकार करते हैं कि जो व्यक्ति मालिक होता है और खेती करता है वह लगान भरता है। किन्तु ल गान की रसीदें किसी भी पक्ष की ओर से पेश नहीं हैं। प्र०डी०-1 की जो भू-अधिकार ऋण पुस्तिका पेश की गई है उसमें लगान का उल्लेख केवल सर्वे क्रमांक-987 और 985 के होने के संबंध में है। विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-1549 के संबंध में नहीं है। इससे यही उपधारित होता है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-1549 का कोई लगान प्रतिवादी/अपीलार्थीगण द्वारा कभी भी नहीं दिया गया है। केवल भू-अधिकार ऋण पुस्तिका जारी होने के आधार पर या नामांतरण के आधार पर वास्तविक कब्जा या

स्वत्व नहीं माना जा सकता है। क्योंकि नामांतरण विधि की प्रक्रियाओं के तहत स्वत्व का प्रमाण या आधार नहीं होता है। यद्यपि ईश्वरी वा0सा0-3 ने अपने पिता लोकमन की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका बनना कहा है किन्तु पेश न करना स्वीकार किया है क्योंकि उसके पास नहीं है। इससे प्रतिकूल उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है क्योंकि जो दस्तावेज किसी व्यक्ति की सख्ती या आधिपत्य में न हो तो उनके पेश न होने का प्रतिकूल निष्कर्ष के विरुद्ध नहीं निकाला जा सकता है।

35. वादीगण की साक्ष्य में यह भी आया है कि लोकमन का नाम कब दर्ज हुआ, कब कब लोकमन ने खेती किस सन् में की, इसके बारे में जानकारी का अभाव है। किन्तु जैसा कि उपर उल्लेखित किया जा चुका है कि जो अभिलेख पेश किया गया है और मौखिक साक्ष्य को देखते हुए जो आगे पीछे का खसरा पेश नहीं है, उनके बारे में निरंतरता बनी रहेगी। इसलिये जिन वर्षों के खसरे लोकमन के मौरुषी कृषक के इन्द्राज वाले पेश नहीं हैं, उनके आधार पर वादीगण के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

36. प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की स्थिति को देखा जाये तो स्वयं रामदीन प्र0सा0-1 की साक्ष्य में इस आशय की स्वीकारोक्ति भी आई है कि वह ग्वालियर में रहता है। उसके बड़े भाई हवलदार व शिवनारायण तीनों शामिल रूप से रहते हैं। उनका बंटवारा नहीं हुआ है। वह अपनी और अपने भाईयों की ग्राम भगवासा में साढ़े आठ बीघा भूमि बताता है जिनमें से उसे सर्वे नंबर-1549 याद है जिसका सर्वे क्रमांक और रकवा याद नहीं है।

37. पोथीराम प्र0सा0-2 ने यह स्वीकारोक्ति की है कि उसके पिता लालजीत और चाचा बुद्धे की कुल 14 बीघा भूमि थी, वर्तमान में उनके पास 6 बीघा है जिसमें वह और उसके चाचा बुद्धे के लड़के खेती करते हैं। हालांकि बाद में उसने अकेले ही खेती करना कहा है और यह स्वीकारोक्ति भी की है कि साढ़े चार बीघा जमीन उसने गजेन्द्र भदौरिया को बेच दी है। उसके भाई हवलदार ने अपने हिस्से की जमीन में से दो बीघा कैलाश जाटव को बेच दी है। तथा उसने व हरीसिंह ने एक बीघा भूमि वादी देवाराम के पिता भारतसिंह को बेची थी। हवलदार ने एक बीघा 14 विस्वा भूमि रामस्वरूप जाटव को दिनांक 03.09.10 को बची या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार से प्रतिवादी/अपीलार्थीगण अपने हिस्से की भूमियों में से विक्रय करना स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर संपत्ति अविभाजित भी बताता है। किन्तु वह अपने हिस्से की कितनी कितनी भूमि है। कौन कौन से सर्वे क्रमांक हैं इसके बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं देते हैं तथा पोथीराम प्र0सा0-2 ने पैरा-7 में लोकमन का मौरुषी कृषक दर्ज होना स्वीकार करता है और यह भी स्वीकार करता है कि दोनों पक्षों की कृषि भूमियाँ पास पास में ही लगी हुई हैं किन्तु सर्वे नंबर-1549 की भूमि पर प्रतिवादी/अपीलार्थीगण का वास्तव में कब्जा है, इस आशय की सुदृढ़ साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई है। जबकि वादीगण के वास्तविक कब्जे की अधिक प्रबल साक्ष्य है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर वादीगण का अपने पूर्वज लोकमन के समय से मौरुषी कृषक के रूप में काबिज चले आने और एम0पी0एल0आर0सी0 की धारा-189 व 190 के आलोक में भूमिस्वामी मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। ऐसे में वाद प्रश्न क्रमांक-1 के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का मूलतः वादीगण के पक्ष में निकाला गया निष्कर्ष पुष्टि योग्य होना पाया जाता है।

38. प्रकरण में वादी/प्रत्यर्धीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रचलित की गई है, जिसके संबंध में अभिवचनों में वाद कारण दिनांक 06.02.14 को भूमि विक्रय की आशंका पर से पेश किया गया है। उभयपक्ष के अभिवचनों और साक्ष्य में स्वत्वों को लेकर खुले तौर पर पक्षकारों में विवाद होना स्पष्ट होता है। हालांकि साक्ष्य के दौरान रामदीन के लड़के गुट्टी से ईश्वरी प्रसाद को विक्रय के प्रयास की जानकारी लगना बताया है। गुट्टी को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है, इस आधार पर प्रतिवादी/अपीलार्थीगण वाद कारण उत्पन्न होने से इन्कार कर रहे हैं किन्तु जिस प्रकार का विवाद खड़ा किया गया है और आक्षेप किये गये हैं, उससे यह स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य विवाद हुआ। और प्रतिवादी/अपीलार्थी राजस्व इन्द्राज के आधार पर अधिकार जताकर आये हैं। इससे कब्जा कास्त में हस्तक्षेप एवं भूमि विक्रय की आशंका को निर्मूल नहीं कहा जा सकता है। वाद प्रस्तुति का कारण भी इस तरह से स्पष्ट होता है और चूंकि वादी/प्रत्यर्धी का विवादित सर्वे क्रमांक-1549 रकबा 0.27 है 0 स्थित ग्राम भगवासा तहसील गोहद जिला भिण्ड के विधि के प्रभाव से स्वत्वाधिकारी उत्तरजीविता के आधार पर पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/प्रत्यर्धीगण के पक्ष में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की प्रसारित डिक्री को अवैध या अनुचित नहीं माना जा सकता है। इसलिये अपील ज्ञापन मुताबिक उठाये गये बिन्दु और लिये गये आधारों में विधिक बल नहीं पाया जाता है।

39. फलतः प्रतिवादी/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होना पाई जाकर निरस्त की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.11.14 की पुष्टि की जाती है।

40. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर अथवा तालिका अनुसार जो भी कम हो, वह जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार हो।

दिनांक— **06.08.15**

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)